FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

लच्छीराम बनाम डूंगरराम

किस्म मुकदमा :–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 117/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
25-07-2023	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षित सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से तहसील खाजूवाला का चक 22 पीकेडी के मु0नं0 162/52 के किला नं0 12 ता 25 की 14.00 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है एवं प्रार्थी इसी चक व इसी मुरब्बा नं0 के किला नं0 1,10,11 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान करवाना चाहता है। मु0नं0 162/52 के किला नं0 1 ता 11 की 11.00 बीघा भूमि अप्रार्थी डूंगरराम पुत्र रामचन्द्र जाति नायक निवासी वार्ड 10 गोलुवाला सिंहागान तहः पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी को नोटिस भिजवाने के बाद भी हाजिर नहीं आया इसलिए एकपक्षीय प्रार्थी को सुना गया । तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार मु0नं0 162/52 के किला नं0 1,10,11,20,21 में मौके पर 2–2 बिस्वा रास्ता चालू है एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं चक 22 पीकेडी के मु0नं0 162/52 के किला नं0 1,10,11 में 2–2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेश किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला उक्त 6 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसर जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैरमुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	